

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024/1624

दिनांक : 27.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), (पंचायत) राजस्थान।

विषय :- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में।
महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर सम्भवतः ईवीएम के माध्यम से कराये जायेंगे। राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33क के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वह डिजाईन होगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1(2)(1)/नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1613 दिनांक 13.05.2019 के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित की गयी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिजाईन मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग संबंधी विभिन्न गतिविधियों, व्यवस्थाओं, मशीनों की जांच, मतदान हेतु तैयारी, उनके रख रखाव आदि के संबंध में की जाने वाली तैयारियों को आगे के पैराओं में वर्णित किया गया है। अतः निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(1) मशीनों की उपलब्धता:-

पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के स्वामित्व की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित M3A/MK-5 मॉडल मशीनें एवं राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के स्वामित्व की ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) मॉडल की मशीनें तथा राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मॉडल की ईवीएम मशीनें का उपयोग किया जायेगा।

(2) मशीनों की आवश्यकता का आँकलन एवं आवंटन:-

आयोग द्वारा जिलेवार ईवीएम की आवश्यकता का आँकलन कर उपलब्धता के आधार पर ईवीएम का आवंटन यथाशीघ्र किया जायेगा।

BEL की M3A/MK-5 मॉडल की मशीनों का उपयोग करने की स्थिति में चुनाव के लिये अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक है, तो एक कन्ट्रोल यूनिट तथा एक बैलेट यूनिट काम आयेगी, परन्तु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NОTA सहित 16 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार ECIL की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) मशीनों के उपयोग की स्थिति में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के एक साथ चुनाव के लिये नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 15 है, तो एक मतदान केन्द्र पर दोनों चुनाव करवाने के लिए एक कन्ट्रोल यूनिट एवं दो बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी, किन्तु यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NОTA सहित 15 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी। यह मशीनों की आवश्यकता के आँकलन का एक आधार होगा। इसके अतिरिक्त 15 प्रतिशत मशीनें आरक्षित एवं 5 प्रतिशत मशीनें प्रशिक्षण के लिये अलग से रखी जावेगी। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण होने एवं जिले में स्थापित किए मतदान बूथों की संख्या के आधार पर मशीनों की आवश्यकता का अंतिम रूप से आँकलन किया जावे।

(3) वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भण्डारण :- वोटिंग मशीनों के भण्डारण के लिए निम्नांकित निर्देशों की पालना की जावे।

- (i) जहां तक संभव हो वोटिंग मशीनें कोषालय में रखी जाये। यदि कोषालय में भण्डारण संभव नहीं हो तो जिला स्तर पर निर्धारित स्ट्रॉग रूम में वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जायें। जहां वोटिंग मशीनें रखी जाये, वहां पर वोटिंग मशीनों के अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं रखी जाए।
- (ii) आम तौर पर इन वोटिंग मशीनों को जिला मुख्यालय पर ही रखा जावे और किन्ही परिस्थितियों में यदि जिला मुख्यालय पर इनका भण्डारण संभव नहीं हो पाता है तो अन्य स्थान पर भण्डारण के लिये आयोग से पूर्व अनुमति ली जावे।
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल में एक से अधिक प्रवेश बिन्दु नहीं हो। यदि एक से अधिक दरवाजे या खिडकियां हैं तो उन्हें कंक्रीट/पक्की चुनाई से बन्द कर दिया जावे।
- (iv) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल के प्रवेश द्वार को डबल लॉक प्रणाली से सुरक्षित किया जावे, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित दो पृथक अधिकारियों के द्वारा चाबियाँ संधारित की जावे। इन दोनों अधिकारियों में से एक अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट के स्तर से कम नहीं होगा।
- (v) जिस कक्ष/हॉल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जावे वह बाढ़/पानी के रिसाव/दरार/लीकेज/टूटी खिडकियां आदि से पूर्ण रूप से मुक्त हो। भण्डारण कक्ष में किसी प्रकार की नमी/कीट/मूषक आदि नहीं होने चाहिये। अग्नि शमन के समुचित प्रबंध उपलब्ध रहने चाहिये। मशीनें पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से रखी जावें।
- (vi) भण्डारण कक्ष पर पुलिस/सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी रखें।
- (vii) मशीनों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) को खोलने/बन्द करने की प्रक्रिया, मशीनों को लाने-ले जाने, भौतिक सत्यापन करने एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इसकी सूचना और उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण अंकित करने के लिए एक लॉग बुक संधारित की जायें जो प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

(4) चुनाव में उपयोग में आने वाली EVM का रजिस्टर एवं सॉफ्टवेयर में संधारण:-

- (i) ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में मशीनों का इन्द्राज करना:- आम चुनावों में उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों से संबंधित समस्त सूचना जैसे कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं SDMM (राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की मशीनों में प्रयुक्त होगा)/DMM (राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश की मशीनों में प्रयुक्त होगा) के यूनीक नम्बर जिले में उपलब्ध मशीन, मॉडल, संख्या, अधिकारी आदि की जानकारी जो स्थाई स्टॉक पंजिका में संग्रहित की जाती है उसकी समस्त सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में इन्द्राज की जावे। इसके लिए वेबसाइट esuchi.rajasthan.gov.in पर जिलों को दिये गये login-id एवं password के द्वारा उक्त सूचना अंकित करनी होगी। इस सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का प्रशिक्षण जिले के उपखण्ड अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर (MT) को प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 02.01.2026 को दिया जा चुका है व द्वितीय प्रशिक्षण फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जायेगा। इसी सॉफ्टवेयर के जरिये प्रशिक्षण में काम आने वाली, चुनाव के उपयोग आने वाली ई.वी.एम. का जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार रेन्डमाइजेशन का कार्य भी सम्पन्न किया जायेगा।
- (ii) सभी वोटिंग मशीनों का इन्द्राज esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। अतः मशीनों से संबंधित सूचना का प्रिंट लेकर चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों का तिथि वार अंकन किया जायेगा अर्थात् पंचायतीराज चुनाव के लिए मशीन प्राप्त होने से लेकर चुनाव बाद निर्वाचन याचिका के निस्तारण/मियाद समाप्त होने के पश्चात् मशीन को क्लीयर कर भण्डारण कक्ष में वापस जमा होने तक प्रत्येक गतिविधि का अंकन किया जायेगा।
- (iii) esuchi.rajasthan.gov.in पर बाद की कार्यवाहियों के इन्द्राज यथा FLC चैकिंग तिथि, चैकिंग के बाद सुरक्षित स्टोर में रखने की तिथि, आवंटन का प्रकार यानि प्रशिक्षण हेतु आवंटन अथवा मतदान के उपयोग हेतु आवंटन, किस अधिकारी को, किस पंचायत के लिए आवंटन किया गया, मशीन खराब है, अथवा चालू स्थिति

में है, मतदान की तिथि, मतदान के उपयोग में आई है तो किस निर्वाचन में अथवा आरक्षित रही है आदि का अंकन इस सॉफ्टवेयर में किया जावे। ठीक प्रकार से रिकॉर्ड संधारण करने के लिए जब-जब आवश्यकता हो तो इसका प्रिंट लेकर एवं हस्ताक्षर मय दिनांक रिकॉर्ड में रख लिया जावे।

(5) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking) :-

- (i) F.L.C. का कार्य जिला स्तर पर करवाया जायेगा।
- (ii) मशीनों की चैकिंग आप अपने विज्ञ स्टॉफ जो कि, पिछले लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका/पंचायत चुनावों में इस कार्य में EVM ट्रेनर के रूप में कार्य कर चुका है और जिन्होंने EVM प्रशिक्षण का भी अनुभव है, उनका उपयोग इस प्रथम स्तरीय जांच के कार्य में लें। निर्माता फर्म ECIL/BEL के तकनीशियनों या इंजिनियरों की देखरेख में मशीन की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) करवाई जाएगी।
- (iii) मशीनों की चैकिंग के कार्य के लिए जिला स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जावे। यह अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक/तहसीलदार सेवा के स्तर से कम का नहीं होगा। F.L.C. की पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी। (वीडियोग्राफी के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग के आदेश क्रमांक प. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/448 दिनांक 13.01.2026 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं।) उक्त वीडियो की सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी। इसके अतिरिक्त F.L.C. हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी इस प्रकार लगाए जाएंगे कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से F.L.C. की प्रक्रिया देख सके। मशीनों की चैकिंग जिला मुख्यालय पर उक्त प्रभारी अधिकारी की निगरानी में ही करवाई जावे। प्रथम स्तरीय जांच हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड (ECIL) एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के इंजिनियर जिले में उपलब्ध रहेंगे, जिसका कार्यक्रम अलग से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जावेगा। अतः F.L.C. का कार्य मतदान दिवस से 12-15 दिवस पूर्व जिलास्तर पर सम्पन्न करा लिया जावे।
- (iv) मशीनों की F.L.C. जिला मुख्यालय पर ही करवाई जायेगी। सामान्यतः लगभग 100 मशीनें (बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) की F.L.C. प्रतिदिन एक इंजिनियर द्वारा की जा सकती हैं। F.L.C. के दौरान उपस्थित रहने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा। अतः ECIL/BEL के इंजिनियर्स का कार्यक्रम निश्चित होने पर F.L.C. के कार्यक्रम व स्थान की सूचना आपके द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लिखित में दी जानी है। यह सूचना F.L.C. प्रारम्भ होने के कम से कम 3 दिन पूर्व देनी चाहिए।
- (v) F.L.C. के दौरान सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा अधिकृत किए हुए प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे और इन्हें ही आने की अनुमति दी जा सकेगी। इन अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) एक पृथक रजिस्टर (Anx-3) में लिए जायेंगे।
- (vi) मशीनों की F.L.C. के लिए जिला मुख्यालय पर एक बड़े हॉल का चयन करें। हॉल का आकार इतना बड़ा हो कि जिन मशीनों की F.L.C. होनी है उन्हें उस हॉल में चैकिंग से पूर्व, चैकिंग के दौरान और चैकिंग के बाद आसानी से रखा जा सके, साथ ही F.L.C. के समय ECIL/BEL के इंजिनियर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारीगण तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण भी हॉल में उपस्थित रह सकें।
- (vii) F.L.C. के लिए हॉल का उपयोग करने से पूर्व उस हॉल को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह हॉल अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के किसी कम्पॉनेंट से पूर्णतया मुक्त है। हॉल के प्रवेश बिन्दु पर पुलिस बल तैनात कर उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी की जावे। प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाया जावे। हॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी प्रवेश बिन्दु पर ली जावे। केवल उसी व्यक्ति को हॉल में प्रवेश दिया जाए जो जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र प्रस्तुत करें।
- (viii) F.L.C. के समय उक्त हॉल में किसी भी व्यक्ति (अधिकारी/कर्मचारी सहित) को किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि सैलफोन, कैमरा, स्पाईपेन इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति को F.L.C. हॉल के बाहर कोई वस्तु ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी।

- (ix) इंजिनियर्स की दक्षता, उनकी योग्यता और ईमानदारी के लिए निर्माता फर्म ECIL/BEL पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगी। F.L.C. हॉल में केवल अधिकृत इंजिनियर्स/तकनीकी स्टाफ को प्रवेश दिया जायेगा। हॉल में प्रवेश के समय वे अपनी पहचान फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर स्थापित कर सकेंगे। अन्य किसी इंजिनियर या तकनीकी स्टाफ को हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (x) F.L.C. के दौरान कंट्रोल यूनिटों/बैलेट यूनिटों पर से एड्रेस टैग, मतपत्र हटाना, उन पर लिखावट आदि साफ करना, डेटा क्लीयर करना, कंट्रोल यूनिट/बैलेट यूनिट के कैरिंग बक्सों, कनेक्टिंग केबल आदि को देखना कि कहीं से क्रेक तो नहीं है आदि कार्यों के साथ यह भी देखा जायेगा कि मशीनें पूर्णतः चालू हैं। सभी बटनों को चैक किया जायेगा। निर्माता कम्पनी के अधिकृत इंजीनियर ई.वी.एम की जांच कर यह प्रमाणित करेंगे कि ई.वी.एम. के सभी कम्पोनेन्ट मौलिक (Original) हैं यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (Anx-4) में होगा। यदि कोई मशीन खराब है तो उसे अलग रखा जायेगा। फील्ड में मशीन की मरम्मत नहीं होगी। फील्ड में मशीन के प्लास्टिक केबिनेट को खोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। मशीनों का कोई भाग फील्ड में नहीं बदला जाये, यह पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। निर्माता कम्पनी (ECIL/BEL) के अधिकृत इंजीनियर कौनसे उपकरण रखेंगे इसकी एक निर्धारित सूची है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण इनके द्वारा हॉल में नहीं ले जाया जा सकेगा।
- (xi) मशीनों की चैकिंग में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि, मशीन के सभी प्रकार के बटन चालू हालत में हों। सभी बटनों अर्थात बैलेट यूनिट के सभी अभ्यर्थियों के बटन, ऑन-ऑफ स्विच, कंडीडेट सैट बटन, बैलेट बटन, क्लोज बटन, टोटल बटन, रिजल्ट बटन, क्लीयर बटन, डिस्पले पैनल, प्रत्येक बटन के साथ बीप की आवाज, रियल टाइम क्लॉक एवं बैटरी पैक को चैक किया जावे।
- (xii) चैकिंग के दौरान प्रत्येक मशीन से प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डमी वोट डालकर भी मशीन को चैक किया जावे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मशीन चुनाव के लिए उपयुक्त एवं पूर्णतः चालू हालत में हैं।
- (xiii) FLC के दौरान 10 प्रतिशत ई.वी.एम. में प्रत्येक ई.वी.एम. पर कम से कम 25 मत का मॉक पोल किया जावे। किये गये मॉक पोल को Anx-5 के प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जायें। साथ ही किये गये मॉक पोल के परिणाम को Anx-6 के प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जायें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त प्रारूप के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) करने हेतु कहा जायेगा।
- (xiv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि F.L.C. के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को खोला नहीं गया है कंट्रोल यूनिट को नासिक सिक्क्यूरिटी प्रेस द्वारा मुद्रित स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही राजनैतिक दलों के F.L.C. के समय उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" कंट्रोल यूनिट के कंडीडेट सैट सैक्शन तथा रिजल्ट सैक्शन के मध्य वाले हिस्से में लगाई जाएगी। उक्त "Pink Paper Seal" लगाने के बाद ECIL/BEL के इंजिनियर्स द्वारा सील के उपर अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपने दल का नाम भी सील पर अंकित कर सकेंगे।
- (xv) कंट्रोल यूनिट पर F.L.C. के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का क्रमांक नोट करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एक रजिस्टर (Anx-7) भी संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक कंट्रोल यूनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस कंट्रोल यूनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) लिए जाएंगे। इस रजिस्टर की फोटो प्रतियां निःशुल्क प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधी को F.L.C. समाप्त होते ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात् चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी उक्त रजिस्टर की फोटोप्रति निःशुल्क दी जायेगी और इनकी रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी।

(xvi) उपरोक्त वर्णित विशेष "Pink Paper Seal" जो कि नासिक सिक्यूरिटी प्रैस से मुद्रित हैं राज्य निर्वाचन आयोग के भण्डार से आपको उपलब्ध करवाई जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा FLC से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित आदेश अलग से जारी किया जायेगा।

(xvii) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के पीछे एक सफेद रंग का आयताकार स्टीकर चिपकाया जायेगा जिसमें जिले का नाम, FLC की तिथि, कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं SDMM (यदि MPSV मशीन है) तथा DMM (यदि MPMV मशीन है) के यूनीक नंबर दर्ज किये जावें और प्रभारी अधिकारी (चैकिंग) ECIL / BEL के तकनीशियनों या इंजिनियरों द्वारा उक्त स्टीकर पर चैकिंग के तुरन्त बाद स्टीकर में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर मय तिथि किये जावें।

(xviii) चैकिंग के तुरन्त बाद नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट के पीछे लगाये जाने वाले सफेद रंग के आयताकार स्टीकर (Anx-1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गये हैं। ये स्टीकर आपको FLC से संबंधित सामग्री के साथ आवंटित किये जायेंगे।

(xix) अपेक्षित मात्रा में मशीनें प्राप्त कर मशीनों की First Level Checking का कार्य मतदान दिवस से 12-15 दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे।

(xx) मशीनों की F.L.C. करने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिवस को FLC हॉल को बन्द करने और अगले दिवस पुनः खोलने की प्रक्रिया एवं जाँच व प्रमाण पत्र प्राप्त मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों एवं FLC हॉल के लिए डबल लॉक की व्यवस्था की जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी (जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे) के पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे। उक्त सीलबन्द सुरक्षित कक्ष में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करें।

(6) प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनी एवं मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटन :-

(i) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के यूनीक नंबर का डेटा बेस जिला स्तर पर तैयार किया जावे। चैक की हुई ऐसी सभी नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों के डेटा बेस से मेन्युअल रेन्डम आधार पर जिले में सभी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मात्रा में नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट की छंटनी कर उन्हें पृथक कर लिया जावे। मतदान केन्द्रों की संख्या की 5 प्रतिशत मात्रा में मशीनें प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त हैं। मेन्युअल रेन्डम आधार पर छंटनी का कार्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न किया जावे।

(ii) प्रशिक्षण हेतु छंटनी कर अलग की गई मशीनों का उपयोग मतदान में नहीं किया जावे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए अलग की हुई मशीनों के ऊपर एक गुलाबी रंग का गोल स्टीकर (Anx-2) चिपकाया जावे। यह स्टीकर आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा FLC के लिए उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में दिया जायेगा।

(iii) प्रशिक्षण के लिए छंटनी कर पृथक की गई मशीनों को प्रशिक्षण के लिये प्रभारी अधिकारियों को आवंटित किया जायेगा और गुलाबी रंग के स्टीकर जो मशीन के अग्र भाग पर लगाया जाना है, उस पर मशीन का यूनीक नंबर अंकित किया जायेगा, तथा प्रमाणन स्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iv) प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों की एक सूची मशीनों के यूनीक नंबर सहित तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित भी की जायेगी, तथा राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को वही मौके पर भी उपलब्ध करवा दी जायेगी।

- (v) उक्त प्रकार से प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनें प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को उसी दिन सुपुर्द कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जावें।
- (vi) प्रशिक्षण हेतु मशीनों की छंटनी का कार्य का कार्य मतदान दिवस से 12-15 दिवस पूर्व तक संपन्न कर लिया जाये।
- (vii) प्रशिक्षण का कार्य जिला स्तर पर सम्पन्न किया जायेगा।

(7) प्रथम स्तरीय जांच के बाद मशीनों का भण्डारण:-

- (i) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को मशीनों की चैकिंग, भण्डारण, आवंटन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद भण्डारण, आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।
- (ii) जाँच व प्रमाण पत्र प्राप्त मशीनों को तुरन्त ही अलग सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो हस्ताक्षर अथवा सील लगा सकेंगे। यदि कोई राजनैतिक दल इस लॉगबुक की फोटो प्रति चाहे तो प्रदान की जावें।
- (iii) इस आदेश के बिन्दु संख्या (3) वोटिंग मशीनों के सुरक्षित भण्डारण के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
- (iv) जब भी उक्त स्ट्रॉग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना राजनैतिक दलों को दी जाये।

(8) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार पृथक-पृथक आवंटन:-

- (i) प्रशिक्षण हेतु मशीनों को पृथक किये जाने एवं उन्हें प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारियों को दिये जाने के उपरान्त शेष बची मशीनों में से मतदान के उपयोग हेतु ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा रेण्डम आधार पर जिलापरिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटित कर दिया जावे। जो मशीनें जिला परिषद् सदस्य के चुनाव के लिये निर्धारित की गई है उन पर **पीला स्टीकर** तथा जो मशीनें पंचायत समिति सदस्य के लिये निर्धारित की गई है उन पर **नीला स्टीकर** चिपकाया जायेगा। जिलापरिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटन के पश्चात शेष बची मशीनों को आरक्षित मशीनों के रूप में सुरक्षित रख लिया जावें।

आरक्षित मशीनों को जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के मतदान बूथों के अनुपात में तथा जिले की भौगोलिक स्थितियों एवं दूरी को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) पंचायत समितियों को आवंटित करेंगे। उचित होगा कि ऐसी पंचायत समिति जो कि अन्य पंचायत समिति के केन्द्र में है एवं जहां से सुगमता से अन्य पंचायत समितियों पर कम समय में पहुँचा जा सकता है वहां पर अपेक्षाकृत अधिक आरक्षित मशीनों को रखा जावें ताकि जिला परिषद् सदस्य अथवा पंचायत समिति के जिस बूथ की मशीन खराब हो तो आरक्षित मशीन को उसके अनुरूप तैयार कराकर तत्काल पहुँचाया जा सकें।

आवंटित एवं आरक्षित मशीनें संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को सुपुर्द की जायेगी। यह आवंटन की कार्यवाही मशीनों की तैयारी (Commissioning of EVM) से 3-4 दिवस पूर्व की जावेगी। मशीनों के आवंटन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित में आमंत्रित किया जाये ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें और इस कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर रिकार्ड में रखा जावें। ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के जरिये रेण्डम आधार पर जिला परिषद् सदस्य के

निर्वाचन क्षेत्रवार एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटन का कार्य जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के द्वारा सम्पन्न कराया जावे।

- (ii) आवंटित एवं आरक्षित नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की एक सूची यूनीक नंबर दर्शाते हुए तैयार की जायेगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी के मनोनीत अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। इस सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी एक प्रति सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगे।
- (iii) मशीनों के आवंटन के बाद निर्धारित नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट के पीछे के भाग पर सफेद स्टिकर पर जिला परिषद्/पंचायत समिति का नाम तथा क्षेत्र संख्या अंकित किया जावे।

(9) मतदान उपयोग हेतु वोटिंग मशीनों की तैयारी (Commissioning of EVM) :-

- (i) मतदान हेतु मशीनों की तैयारी का कार्य BEL/ECIL के अधिकृत इंजीनियरों के द्वारा कराया जायेगा और यह कार्य जिला स्तर पर कराया जायेगा।
- (ii) चुनाव चिन्हों के आवंटन के पश्चात् ही मतपत्रों का मुद्रण संभव होगा। चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि एवं मतदान की तिथि के मध्य अन्तराल भी कुछ ही दिनों का होता है ऐसी स्थिति में बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण दो या तीन दिन के भीतर ही करा लेना आवश्यक है। इन मतपत्रों के मुद्रण के बाद ही वोटिंग मशीनों की तैयारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कराया जाना संभव है, अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के कम से कम तीन दिन पूर्व की तिथि वोटिंग मशीनों की तैयारी के लिए निश्चित करके रखी जावे।
- (iii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीनों की तैयारी करने की तिथि, समय, एवं स्थान के बारे में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से पूर्व में ही लिखित नोटिस के द्वारा अवगत करा दिया जावे और उन्हें स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को उक्त समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए लिखा जावे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक (यदि उपलब्ध है तो) को भी उक्त कार्यक्रम से अवगत कराया जावे ताकि वे भी मशीनों की तैयारी की प्रक्रिया को देख सकें। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर एक निर्धारित रजिस्टर (Anx-8) में लिए जाये।
- (iv) बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील भी लगायेंगे। नियंत्रण यूनिट में नई बैटरी लगाने, कण्डीडेट सैट करने, कण्डीडेट सैट खण्ड को सील करने आदि की कार्यवाही स्टेप-बाई-स्टेप रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया से की जाये जैसा कि EVM की अनुदेश निर्देशिका (Instructions Guide) में बताया गया है जो कि आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। तैयार करते ही बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के कण्डीडेट सैट खण्ड को रिटर्निंग अधिकारी टैग के साथ सील एवं हस्ताक्षर करेंगे और उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों से भी अपने हस्ताक्षर करने हेतु कहेंगे।
- (v) **MPSV मॉडल की मशीनों में कण्डीडेट सैट करते समय जब 'Enter Ward No.' का संदेश आता है, उस समय वार्ड नम्बर के लिए निर्धारित चार अंकों में प्रथम दो अंकों में जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं अगले दो अंकों में पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या अंकित की जानी है।**
उदाहरण – 1. जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 एवं पंचायती समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 है तो वार्ड नम्बर के लिए निर्धारित चार अंकों में प्रथम दो अंकों में 15 एवं अगले दो अंकों में 23 अर्थात् 1523 अंकित किया जाएगा।
उदाहरण – 2. जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 एवं पंचायती समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 है तो वार्ड नम्बर के लिए निर्धारित चार अंकों में प्रथम दो अंकों में 03 एवं अगले दो अंकों में 07 अर्थात् 0307 अंकित किया जाएगा।

- (vi) यदि MPSV एवं MPMV मॉडल की मशीन का उपयोग किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 15 तक हैं तो बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 15 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदनुसार द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 2 और इसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 3 एवं चतुर्थ बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 4 पर सेट करेंगे।
- (vii) यदि M3A/MK-5 मॉडल की मशीन का उपयोग किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक हैं तो बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 16 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदनुसार द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 2 और इसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 3 एवं चतुर्थ बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 4 पर सेट करेंगे।
- (viii) मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाते समय ध्यान रखें कि मतपत्र में अभ्यर्थियों के पैनल की लाईनों का एलाइनमेंट बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी के लिए निर्धारित स्थान की सीध में ही हो।
- (ix) मतदान के उपयोग हेतु तैयार की गई मशीनों की सूची उनके यूनीक नंबर व आवंटित मतदान केन्द्र दर्शाते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को तत्समय ही देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जायें। एक जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र/ पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपरोक्त कार्यवाही करने के पश्चात अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मशीनों की तैयारी एक-एक करके की जाये।
- (x) निर्धारित आरक्षित मशीनों को पंचायत समिति स्तर पर रखा जावे।
- (xi) इस आदेश के बिन्दु संख्या (5)-मशीनों की प्रथम स्तरीय जाँच के उपबिन्दु संख्या (v) से (viii) में वर्णित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- (xii) मतदान मशीनों की तैयारी के समय दिखावटी मतदान (Mockpoll) में 10 प्रतिशत मशीनों में प्रत्येक मशीन पर 25 मत दिये जायेंगे एवं शेष मशीनों में अभ्यर्थियों की संतुष्टी के लिए एवं समय की उपलब्धता के अनुसार दिखावटी मतदान (Mockpoll) से मत दिये जा सकेंगे। दिखावटी मतदान (Mockpoll) के दौरान अभ्यर्थी स्वयं भी मत दे सकेंगे।
- (xiii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिखावटी मतदान (Mockpoll) किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर रजिस्टर (Anx-9) में प्राप्त किए जावें।
- (xiv) दिखावटी मतदान (Mockpoll) के पश्चात् मशीनों पर परिणामों का प्रिन्ट आऊट दिखाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित रजिस्टर (Anx-10) में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जावें।
- (xv) यह ध्यान रखा जाए कि कंट्रोल यूनिट पर Pink Paper Seal जो FLC के समय लगायी गयी थी वह सुरक्षित रहें, तैयारी की प्रक्रिया में कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए।
- (xvi) मशीनों की तैयारी जिसमें बैलेट यूनिट में मतपत्र भी लगाया जाता है। बैलेट यूनिट को भी स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" बैलेट यूनिट के सबसे निचले हिस्से पर लगायी जायेगी ताकि किसी अभ्यर्थी का नाम या चिन्ह ढक नहीं जाए। उक्त "Pink Paper Seal" पर ECIL/BEL के इंजिनियर्स द्वारा अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर (यदि इच्छुक हो तो) करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपना व अपने दल का नाम भी सील पर अंकित कर सकेंगे।
- (xvii) बैलेट यूनिट पर तैयारी के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का क्रमांक नोट करने के लिए अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसे रजिस्टर में अंकित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक बैलेट यूनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस बैलेट यूनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (यदि इच्छुक हो तो) लिए जाएंगे। तैयारी पूर्ण होने पर इस रजिस्टर (Anx-11) की

फोटोप्रतियां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क दी जायेगी और इनकी प्राप्ति रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी।

- (xviii) मशीनों की तैयारी का पर्यवेक्षण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। EVM की तैयारी की पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
- (xix) जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिये निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर पीले रंग के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग का प्रयोग होगा तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिये निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर नीले रंग के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग का प्रयोग होगा।
- (xx) जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान के लिये तैयारशुदा मशीनों को भण्डारण के समय मिश्रण न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जावे।

(10) तैयार शुदा वोटिंग मशीनों एवं आरक्षित मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षा:-

- (i) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को मशीनों की चैकिंग, भण्डारण, आवंटन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद भण्डारण, आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।
- (ii) जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटित तैयार शुदा एवं आरक्षित मशीनों को तुरन्त ही जिला स्तर पर अलग-अलग सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। तैयार की हुई ऐसी मशीनों को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। तैयार की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो हस्ताक्षर अथवा सील लगा सकेंगे। यदि कोई राजनैतिक दल इस लॉगबुक की फोटो प्रति चाहे तो प्रदान की जावे।
- (iii) इस आदेश के बिन्दु संख्या (3) वोटिंग मशीनों के सुरक्षित भण्डारण के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- (iv) जब भी उक्त स्ट्रॉंग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना अभ्यर्थियों को दी जाये।

(11) मतदान दलों को तैयार शुदा वोटिंग मशीनों का वितरण:-

- (i) जहां पर उक्त तैयार शुदा वोटिंग मशीन रखी गई है वहां से मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन वितरण करने का स्थल यदि भिन्न है तो वोटिंग मशीनों के परिवहन का कार्यक्रम पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थियों को पूर्व में अवगत कराया जाये। वोटिंग मशीन के परिवहन में मशीनों की समुचित सुरक्षा की जाये। वितरण स्थल पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाये। तैयार शुदा वोटिंग मशीनों का वितरण जिला स्तर से ही सम्पन्न किया जायेगा।
- (ii) पीठासीन अधिकारियों को जब मशीनें वितरित की जाये तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर लिए जाये। कौनसी मशीन किस मतदान बूथ के लिए दी गई है इसका पर्याप्त रिकार्ड रखा जाये। मतदान दलों को मशीनें देते समय सुनिश्चित किया जाए कि मशीनों पर लगी हुयी सभी सीलें सुरक्षित हैं।
- (iii) पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि उन्हें प्रदान की गई मशीन का नंबर वे चैक कर लें कि मशीन का नंबर मशीन के पीछे लगे स्टीकर, मतपत्र और एड्रेस टैग के अंकन के अनुसार ही है।
- (iv) जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाये तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाये।

(12) वोटिंग मशीन से संबंधित रजिस्टर का संधारण:-

- (i) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त सभी मशीनों के विवरण के साथ एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें ये समस्त जानकारी होगी कि कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट कौनसी पंचायत की किस मतदान केन्द्र पर उपयोग में आयी है, किस चुनाव में काम आयी है या कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट बदली गई है आदि।
- (ii) मतदान के बाद प्राप्त होने वाली मशीनों का विवरण भी उक्त रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

(13) मतदान पश्चात वोटिंग मशीन की सुरक्षित अभिरक्षा:-

- (i) जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना कार्य चूंकि जिला स्तर मुख्यालय पर ही होना है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन निर्वाचन क्षेत्रवार जिला स्तर मुख्यालय पर ही मतगणना स्थल पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। वोटिंग मशीन के स्ट्रॉंग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी स्ट्रॉंग रूम के दरवाजे/खिड़कियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जायेगी तथा उन्हें यह अनुमति भी दी जायेगी कि वे एक पर्याप्त दूरी से स्ट्रॉंग रूम की निगरानी रख सकते हैं।
- (ii) स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरे भी स्थापित किये जायेंगे।
- (iii) स्ट्रॉंग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय भी रखे जायेंगे।
- (iv) स्ट्रॉंग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।
- (v) मतगणना कक्ष में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटित नियंत्रण यूनिट एवं निर्वाचन क्षेत्र में खराब हुई मशीन के स्थान पर काम में आई आरक्षित मशीन की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।
- (vi) जहां पर पुनर्मतदान होगा उस मतदान केन्द्र पर मूल रूप से मतदान में उपयोग में लाई गई मशीन भी स्ट्रॉंग रूम में ही रखी जायेगी जिस पर साफ-साफ एक टैग "गणना नहीं करनी है" अंकित करते हुए उस नियंत्रण यूनिट पर लगाया जायेगा और उसे सील बन्द ही रखा जायेगा। पुनर्मतदान होने पर नई मशीन पर साफ-साफ टैग "पुनर्मतदान की वोटिंग मशीन-गणना की जानी है" अंकित करते हुए लगाया जायेगा। उपरोक्त दोनों प्रकार के टैग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(14) ई.वी.एम. संबंधी तैयारी आदि घटनाओं की वीडियोग्राफी:-

पारदर्शिता के लिए यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वोटिंग मशीन की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीन की तैयारी, वोटिंग मशीन की सीलिंग, स्ट्रॉंग रूम की सीलिंग, स्ट्रॉंग रूम को खोलने आदि प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी भी की जाये। उक्त वीडियोग्राफी का रिकार्ड समुचित रूप से संधारित रखा जावे, जो निर्वाचन रिकार्ड के रूप में संधारित होगा और अन्य रिकार्ड की भांति इसकी प्रमाणित नकल जारी की जा सकेगी।

(15) मतगणना के पश्चात मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षा:-

मतगणना व परिणाम की घोषणा के पश्चात् यदि M3A/MK-5 मॉडल की मशीनें उपयोग में ली गई हैं तो मशीनों से बैटरी निकाल ली जावे और मशीन को सील कर दिया जावे।

यदि MPSV एवं MPMV की मशीनें काम ली गई हैं, तो मशीनों से बैटरी निकाल ली जावे और क्रमशः SDMM/DMM भी कन्ट्रोल यूनिट से हटा कर आयोग के पत्रांक 710 दिनांक 20.01.2026 एवं पत्रांक 830 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये SDMM/DMM को सील कर लिया जावे तथा कन्ट्रोल यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों को आगामी चुनावों में उपयोग के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जावे।

समस्त आरक्षित मशीनें जिलों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) में बिना किसी विलंब के जमा करा दी जावे। जो M3A/MK-5 मशीनें मतदान में उपयोग में आयी हैं वे जिला मुख्यालय पर कोषागार या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के बाद निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस निर्धारित है। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत होने की स्थिति

में निर्वाचन याचिका के निस्तारण के तीन माह की अवधि समाप्त होने तक और अपील होने की स्थिति में अपील के निस्तारण तक मशीनें सीलबन्द सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी। जिन वाडों में कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होती है अथवा निर्वाचन संबंधी कोई मामला न्यायालय में नहीं हो वहां परिणामों की घोषणा के 30 दिवस बाद मशीनों को क्लीयर किया जायेगा, अर्थात् मशीनों की सील हटायी जायेगी, नियंत्रण यूनिट की सूचना हटायी जायेगी, और बैलेट यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को भी हटाया जायेगा। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित स्थाई आदेश सं. प. 4(2)(1)वो/ नपा/रानिआ/94/3150 दिनांक 6.11.99 का अनुसरण किया जाये।

(16) मशीनों को लौटाना :- उक्त कार्यवाही के बाद जो मशीनें भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से प्राप्त की गई हैं उन ई.वी.एम. मशीनों को सुरक्षित रूप से वापस लौटाया जावेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें। इससे सभी रिटर्निंग अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत करायें। उक्त व्यवस्था से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराया जाये। उपरोक्त व्यवस्था समस्त आगामी चुनाव जो वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे, वहां भी लागू होगी।

(17) ई.वी.एम. मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था :- ई.वी.एम. को निर्धारित स्थानों एवं अलग-अलग स्तर पर सुरक्षित रखने का पूर्ण दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है अतः जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(18) ईवीएम उपयोग के संबंध में उक्त निर्देश जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। यदि सरपंच एवं पंच का चुनाव ई.वी.एम. मशीनों से कराया जाता है तो यथाशक्य परिवर्तनों के साथ उक्त निर्देशों को लागू माना जाए। सरपंच पद के चुनाव के लिये निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर सफेद रंग के मतपत्र/स्टिकर/एड्रेस टैग का प्रयोग होगा, तथा पंच पद के चुनाव के लिये निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर गुलाबी रंग के मतपत्र/स्टिकर/एड्रेस टैग का प्रयोग होगा।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 27.01.2026

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024-25/1025-1030

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(अम्बा लील मीणा)

उपसचिव

Name of Election – ZP/PS Member
Name of District
Ballot Unit No.
First Level Check. Date
Date & Sign of checking official
Name Panchayat Samiti/Zila Parishad
Date & Sign. of DEO's representative
Deployment Status:- ZP/PS Const.No.
Polling booth No.
Date & Sign. of RO/ARO.

Name of Election – ZP/PS Member
Name of District
Control Unit No.
First Level Check. Date
Date & Sign of checking official
Name Panchayat Samiti/Zila Parishad
Date & Sign. of DEO's representative
Deployment Status:- ZP/PS Const.No.
Polling booth No.
Date & Sign. of RO/ARO.

परिशिष्ट -2



Annexure-3
(Register for First Level Checking of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure -4
(Certification of EVMs by BEL/ECIL)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that tests prescribed by BEL/ECIL to ascertain that all components are original were carried out on the EVMs listed below on..... (date). On the basis of these tests it is certified that all components of the EVMs listed below are original.

Sr. No.	CU Identification No.	SDMM No. (In case of MPSV)	DMM No. (In case of MPMV)	BU Identification No.

(Name & signature of BEL/ECIL engineers with ID No.)

Annexure-5

(Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:.....

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that I have done mock poll on..... EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if

Annexure-6

(Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:.....

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that a printout of the result of mock poll has been taken out from EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

Annexure-7

(Register for Sealing of Control Unit of EVMs using Pink Paper Seal)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that the sealing of the Control Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Control Units and I am satisfied with the sealing of the Control Units.

Sl.No.	Unique ID No. of Control Unit	SDMM No. (In case of MPSV)	DMM No. (In case of MPMV)	Pink Paper Seal Number

S.No	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure-8
(Register during Commissioning of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure-9
(Mock Poll certification during Commissioning of EVMs)

Date:.....

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that I have done mock poll on..... EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if

Annexure-10
(Mock Poll certification during Commissioning of EVMs)

Date:.....

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that a printout of the result of mock poll has been taken out from EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

Annexure-11

(Register for Sealing of Ballot Unit using Pink Paper Seal during
Commissioning of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that the sealing of the Ballot Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Ballot Units and I am satisfied with the sealing of the Ballot Units.

Sl.No.	Unique ID No. of Ballot Unit	Pink Paper Seal Number

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)